प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 08.09.2026

थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा बिल्डिग मेटेरियल की दुकान पर फायरिंग करने वाला वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस व घटना में प्रयुक्त स्कूटी बरामद ।

कार्यवाही का विवरण: दिनांक 21.06.2026 को थाना खोडा पर वादी सीताराम पाल पुत्र श्री मलखान सिंह निवासी गली नं014, शनि बाजार, मास्टर पार्क खोडा कॉलोनी जनपद गाजियाबाद द्वारा लिखित तहरीर दी कि मै बिल्डिग मेटेरियल का काम करता हूँ , मेरी दुकान गलीनं014 में है । दिनांक 21.06.2026 को सुबह के समय में अपनी दुकान पर बैठा था तभी दो लड़के हेलमेट लगाकर स्कूटी पर आये और मुझ पर जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर कर दिया और फरार हो गये, जिससे मै बाल-बाल बच गया। वादी सीताराम पाल ने बताया कि दिनांक 18.06.2024 को ऋषिकेश, शोभरन, सत्यप्रकाश, रुपेश, देवेन्द्र से झगड़ा हुआ था, इन्ही के नाम रिपोर्ट लिखाई थी उन्होने ही मुझे मारने की धमकी दी थी, मुझे इन्ही लोगों पर शक है। वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खोडा पर धारा 109(1)/191(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। उपरोक्त घटना के सफल अनावरण हेतु थाना स्तर पर एक टीम का गठन किया गया । मैनुअल इनपुट, सर्विलांस एवं अन्य साक्ष्यों की मदद ली गयी। जिसके क्रम में आज दिनांक 08.09.26 को थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर वांछित अभियुक्त सुबोध उर्फ मिन्टू पुत्र हरबीर निवासी ग्राम भनैडा थाना बावरी जनपद शामली वर्तमान पता शंकर गली विश्वास नगर पाण्डव रोड थाना फर्श बाजार दिल्ली उम्र करीब 46 वर्ष को इन्दिरापुरम अण्डरपास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर 01 जिन्दा कारतूस व घटना में प्रयुक्त स्कूटी बरामद हुई। पंजीकृत अभियोग में धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की बढौत्तरी की गई। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। शेष अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त सुबोध उर्फ मिन्टू से पूछताछ करने पर बताया कि मैने दिनांक 21.06.2026 को अपने दोस्त छोटू निवासी जिला बैतिया बिहार के साथ मिलकर सीताराम निवासी मास्टर पार्क खोडा कॉलोनी जनपद गाजियाबाद, जो बिल्डर्स का काम करते है उन पर गोली चलाई थी, क्योकि सीताराम को मैने 07 लाख रुपये उधार दिये थे लेकिन मेरे बार बार माँगने पर भी सीताराम मुझे रुपये नही दे रहा था और मेरे साथ गाली गलोच करता था और कहता था कि मै तेरे रुपये नही दुँगा, जो करना है कर ले इस बात पर मुझे गुस्सा आया और मैने दिनांक 21/06/2026 को अपने दोस्त छोटू निवासी जिला बैतिया बिहार के साथ मिलकर सीताराम को जान से मारने की नियत से तमंचे से गोली चलाई और गोली चलाकर मैं और मेरा दोस्त मौके से भाग गये।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

सुबोध उर्फ मिन्टू पुत्र हरबीर निवासी ग्राम भनैडा थाना बावरी जिला शामली वर्तमान पता शंकर गली विश्वास नगर पाण्डव रोड थाना फर्श बाजार दिल्ली उम्र करीब 46 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना खोडा पर उक्त सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना खोडा पुलिस टीम।

थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध देशी तमंचा .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर।

कार्यवाही का विवरणः- आज दिनांक 08.09.2026 को थाना वेवसिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मेनुअल ईनपुट के आधार पर 01 अभियुक्त आकाश शर्मा उर्फ ढब्बू पुत्र सुनील शर्मा निवासी ग्राम सादतनगर इकला थाना वेवसिटी गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष को 01 अवैध देशी तमंचा .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ इकला मार्ग से गुर्जरगढी मार्ग तिराहे से कुछ कदम की दूरी पर पुख्ता डाबर मार्ग के दक्षिण दिशा में बनी ट्यूबवैल के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ में बताया कि मैं सादतनगर इकला गाजियाबाद का रहने वाला हूँ और मैं बाउंसर का काम करता हूँ और जब भी कभी दिल्ली एनसीआर में कोई ईवेंट / फंक्शन होता है तो मैं उसमें जाता हूँ। मुझे तमंचा रखने का शौक है इसीलिए मैं ये तमंचा रखता था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

- आकाश शर्मा उर्फ ढब्बू पुत्र सुनील शर्मा निवासी ग्राम सादतनगर इकला थाना वेवसिटी गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त आकाश शर्मा उपरोक्त के विरुद्ध थाना वेव सिटी पर उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरणः-

- 01 अवैध तमंचा .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

- थाना वेवसिटी पुलिस टीम

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित 02 बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया।

दिनांक 04.09.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादिया द्वारा तहरीर दी गयी कि वादिया की नाबालिग पुत्री उम्र करीब 14 वर्ष का घर से कही चले जाना तथा वापस ना आना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल सुसंगत धारा- 137(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा तलाश हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात वादिया की पुत्री को बरामद किया गया जिसके बयानों एवं साक्ष्य संकलन के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा- 140(3)/65(1)/70(2) बीएनएस व 5जी/6/3/4(2) पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी जिसमें बाल 02 अपचारियों का नाम प्रकाश में आया।

आज दिनांक 08.09.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित 02 बाल अपचारियों उम्र करीब 15 वर्ष व 17 वर्ष को अभिरक्षा में लिया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

बाल अपचारियों ने पूछताछ करने पर बताया कि हम दोनों दोस्त व रिश्तेदार है जिसमें एक बाल अपचारी ने बताया कि वादिया का परिवार पूर्व में हमारे यहां किराये पर रहता था, उसी दौरान मेरी वादिया की पुत्री के साथ दोस्ती हो गयी थी। हम वादिया की पुत्री को अपने साथ बहला-फुसलाकर ले गये थे तथा उसके साथ गलत काम कर दिया था।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

बाल अपचारियों के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

अभिरक्षा में लेने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

गाजियाबाद पुलिस का अपराध के विरुद्ध सशक्त अभियान के अन्तर्गत स्वाट टीम, अपराध शाखा पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा थाना लोनी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 297/2026 धारा 191(2)/191(3)/109(1)/304(2)/352/3(5) बीएनएस व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट में वांछित/25000रू के पुरूस्कार घोषित अपराधी हाजी सलमान खान पुत्र बुन्दु खान निवासी मौहल्ला गौरी पट्टी थाना लोनी गाजियाबाद को चित्तौडगढ राजस्थान से गिरफ्तार।

- दिनांक 02.09.2026 को वादी श्री सुमित सूद निवासी रामविहार लोनी गाजियाबाद द्वारा हाजी सलमान खान पुत्र बुन्दु खान निवासी मौहल्ला गौरी पट्टी थाना लोनी गाजियाबाद व शहनवाज पुत्र बुन्दु एवं शेरखान पुत्र बुन्दु निवासीगण उपरोक्त तथा अज्ञात करीब 50 लोगो के द्वारा जान से मारने की नियत से हमला करना व जाति सूचक शब्द कहने व लूटपाट करने तथा जान से मारने की नियत से धमकी देने के संबंध में थाना लोनी पर मु0अ0सं0 297/2026 धारा

191(2)/191(3)/109(1)/304(2)/352/3(5) बीएनएस व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत कराया गया था।

• दिनांक 04.09.2026 को वादी श्री ललित पुत्र श्री नन्द किशोर गुर्जर निवासी परमहंस विहार लोनी बॉर्डर गाजियाबाद द्वारा हाजी सलमान नामक व्यक्ति के द्वारा सोशल मीडिया पर रील/वीडियो बनाकर माननीय विधायक श्री नन्द किशोर गुर्जर जी के विरूद्ध अत्यन्त अभद्र, आपत्तिजनक एवं धमकीपूर्ण भाषा का प्रयोग करते हुए टांग तोडने, टांगो का चूरा करने तथा अकेले में मिलने पर गम्भीर नुकसान पहुॅचाने जैसी स्पष्ट धमकियां देने के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर मु0अ0सं0 348/2026 धारा 352,351(3),353(2),356(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था।

• उपरोक्त अभियोगों से संबंधित अभियुक्त हाजी सलमान उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपायुक्त, ग्रामीण कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा दिनांक 05.09.2026 को 25000रू का ईनाम घोषित किया गया था।

• आज दिनांक–08.09.2026 को स्वाट टीम, अपराध शाखा को थाना लोनी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 297/2026 धारा 191(2)/191(3)/109(1)/304(2)/352/3(5) बीएनएस व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट एवं मु0अ0सं0 348/2026 धारा 352,351(3),353(2),356(2) बीएनएस थाना लोनी बॉर्डर में वांछित/25000रू के पुरूस्कार घोषित अपराधी हाजी सलमान खान पुत्र बुन्दु खान निवासी मौहल्ला गौरी पट्टी थाना लोनी गाजियाबाद को चित्तौडगढ़ राजस्थान से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

अभियुक्त का नाम व पता

1- हाजी सलमान खान पुत्र बुन्दु खान निवासी मौहल्ला गौरी पट्टी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष

पूछताछ का विवरण– पूछताछ पर अभियुक्त हाजी सलमान खान ने बताया कि मैं थाना लोनी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 297/2026 धारा 191(2)/191(3)/109(1)/304(2)/352/3(5) बीएनएस व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट में वांछित चल रहा था। मैं जगह बदल–बदल कर उसी दिन से लगातार भाग रहा हूॅ। आज भी राजस्थान के जिला बूंदी से जिला चित्तौडगढ की तरफ जा रहा था, पकडा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त हाजी सलमान खान उपरोक्त से संबंधित अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद से की जा रही है।

अभियुक्त आपराधिक इतिहास–

1. मु0अ0सं0 297/2026 धारा 191(2)/191(3)/109(1)/304(2)/352/3(5) बीएनएस व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट थाना लोनी पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद।
2. मु0अ0सं0 348/2026 धारा 352,351(3),353(2),356(2) बीएनएस थाना लोनी बॉर्डर पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद
3. मु0अ0सं0 1160/19 धारा 147,148,149,332,353,341 भा0द0वि व 7 सीएलए एक्ट थाना लोनी पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद
4. मु0अ0सं0 914/19 धारा 143,145,147,149,151,332,353,341,34 भा0द0वि0 व 7 सीएलए एक्ट थाना लोनी बॉर्डर पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद
5. मु0अ0सं0 417/22 धारा 376,384,328,323,504,506 भा0द0वि0 थाना लोनी पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद
6. मु0अ0सं0 597/20 धारा 306 भा0द0वि0 थाना भजनपुरा दिल्ली
7. मु0अ0सं0 1322/2021 धारा 147,332,353,504,506 भा0द0वि0 थाना लोनी
8. मु0अ0सं0 838/21 धारा 147,323,504,506 भा0द0वि0 थाना ट्रोनिका सिटी
9. मु0अ0सं0 912/22 धारा 504,506 भा0द0वि0 थाना लोनी
10. मु0अ0सं0 71/26 धारा 115(2),351(3),352,3(5) बीएनएस थाना लोनी
11. मु0अ0सं0 174/2026 धारा 318(4),340(2),336(3),338,329(4),352,351(3) बीएनएस थाना लोनी
12. मु0अ0सं0 170/26 धारा 353(2) बीएनएस थाना लोनी

13. अभियुक्त हाजी सलमान के विरूध थाना लोनी से गुण्डा की कार्यवाही वाद संख्या 192/24 धारा 2/3 गुण्डा एक्ट दिनांक 23.04.2024 को 06 माह के लिए जिला बदर की कार्यवाही की जा चुकी है।

14. अभियुक्त हाजी सलमान उपरोक्त थाना लोनी का एक हिस्ट्रीशीटर अपराधी है– एचएस नं0–271ए

बरामदगी का विवरण–

1. 03 मल्टीमीडिया आईफोन
2. 7000रू नकद

गिरफ्तार करने वाली टीम–

1-स्वाट टीम, अपराध शाखा पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद ।